२

बहुलवादी सिद्धांत
(Pluralist Theory)

वर्ग प्रभुत्व, विशिष्टवर्गवाद और नारीवाद के सिद्धांत तो यह दावा करते हैं। कि शक्ति का प्रयोग समाज को दो बड़े - बड़े हिस्सों - शक्तिशाली और शक्तिहीन (Powerful and powerless) हिस्सों में बांट देता है। परंतु शक्ति किसी एक वर्ग या विभाग के हाथों में केंद्रित नहीं रहती, बल्कि यह अनेक समूहों में बँटी रहती है। इन समूहों को प्रभावशाली और पराधीन समूहों की श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता। चूँकि, समाज - व्यवस्था के अंतर्गत ये समूह कमोबेश परस्पर - आश्रित (interdependent) होते हैं, इसलिए परस्पर - क्रिया (Interaction) करते समय ये समूह एक - दूसरे की शक्ति को प्रतिसंतुलित कर देते हैं।

उदार लोकतंत्र का अर्थ है, अपेक्षाकृत स्वायत्त समूहों के बीच सौदेबाजी की प्रक्रिया (A Process of Bargaining among relatively autonomous groups)। इस विचारधारा के अनुसार, उदार समाज के अंतर्गत, मनुष्यों को अपने - अपने हितों की देखरेख के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

लोकतंत्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत ये संघ या समूह आपस में सौदेबाजी करके ऐसी नीतियों के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।

समकालीन राजनीति - सिद्धांत के अंतर्गत रॉबर्ट डाल ने अपनी चर्चित कृति ए प्रिफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी (लोकतंत्रीय सिद्धान्तों की प्रस्तावना। (1956) के अंतर्गत लोकतंत्रीय प्रक्रिया का ऐसा प्रतिरूप विकसित किया है।

बहुलवादी सिद्धान्त उन समुदायों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिनमें लोग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति इत्यादि के आधार पर बँटे हों।
बहुलवादी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत एक ही भूक्षेत्र (Territory) में भिन्न-भिन्न जातियों के, अनेक भाषाभाषी, अनेक धर्मावलंबी और भिन्न-भिन्न परंपराओं के अनुयायी समूह मिल-जुलकर शांतिपूर्वक रह सकते हैं।

बहुलवादी संविधानिक प्रणाली सहिष्णुता (Tolerance) की भावना को बढ़ावा देती है, और अल्पमत के अधिकारों (Minority Rights) की रक्षा करती है, ताकि विभिन्न समूहों के भीतर पृथकवादी प्रवृतियां (Separatist Tendencies) को पनपने से रोका जा सके।
इसके अलावा, राजनीतिक संविधानिक प्रणाली सहिष्णुता
किसी विशाल देश में या बड़े-बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में कोई मंत्री या विधायक प्रत्येक व्यक्ति से सीधा सरोकार नहीं रख सकता। जब व्यक्ति अपने-अपने हितों के आधार पर भिन्न-भिन्न समूहों के रूप में संगठित हो जाते हैं

व्यक्ति और राज्य के बीच की मध्यवर्ती संस्थाएं, नागरिकों के असंतोष को उग्र रूप धारण नहीं करने देतीं।